न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **396/2024** दायर दिनाँक **10.12.2024**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जसराज दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी खाटु खुर्द तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	बनाम्	1. मूलाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छोटी खाटू 3. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादी।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **25.02.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 420 रकबा 5.0600 हैक्टे0 वाकै सरहद छोटी खाटू में अवस्थित है। उक्त विवादग्रस्त जमीन में वादी व प्रतिवादीगण के मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा मौके अनुसार उक्त खसरान का विधिवत बंटवारा नही होने से वादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी का उक्त खसरा में पश्चिमी तरफ 1/2 भाग वादी का है तथा वादी ने उक्त खसरे के बीच में अपने हिस्से में पत्थरों की दिवार भी निकाल चुका है तथा बिच में वादी ने एक छपरा भी बना रखा है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

वाकै सरहद खाटूखुर्द के खेत खसरा सं0 420 रकबा 5.0600 हैक्टे0 भूमि का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

1. वादी जसराज के नजरी नक्शा अनुसार 2.5300 हैक्टे0 भूमि पश्चिमी तरफ की बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
2. प्रतिवादी सं0 1 मुलाराम के नजरी नक्शा अनुसार 2.5300 हैक्टे0 भूमि पूर्वी तरफ की बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन [illegible] सं0 1 खातेदारी घोषणा एवं विधिवत बंटवारा करवाना चाहते है। उक्तानुसा[illegible] भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसील[illegible] प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद विवेचन, वा[illegible] प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:28:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—:आदेश :—

वाके सरहद खाटूखुर्द के खेत खसरा सं0 420 रकबा 5.0600 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार छोटी खाटू, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना करते हुए मौके पर जाकर पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में दिनांक 18.03.2025 से पूर्व न्यायालय में पेश करे।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:28:29 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना